

(11)

कार्यालय ग्राम सभा रुक्तेरा (गडेलवा) जनपद पंचायत रुक्तेरा जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम रुक्तेरा के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संचादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।

दिनांक: 17/8/2013

अशोकनगर
गाँव
ग्राम पंचायत पिपरी
हजारा नन्देरी अशोकनगर

अशोकनगर
सरपंच
प्रधान/सचिव
हजारा नन्देरी अशोकनगर सहित

- (4) लीअर और छहद जलानग्न अनाल दिनांक 17/8/2013 को ग्राम पंचायत पिपरीद अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम समितियों के अन्तर्गत ग्राम समितियों का आयोजन किया गया जिनकी अध्यक्षता शिवमति अवधेश राजा यादव साधु डांग की गई। प्रस्तावक शिवमति अवधेश राजा यादव साधु ने प्रस्ताव रखा कि लीअर और छहद परियोजना निर्माण दीन ही जिलामें वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि के अधिग्रहण में ग्राम समिति को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सहमतिपत्र जारी किया जा रहा है। समर्थन - प्रस्ताव का समर्थन श्री इमरत सिंह आदिवासी पंच के द्वारा किया गया है। पारित - उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार - विमर्श के पश्चात् अप्रति 14/8/2013 को द्वारा बहुमत से पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रतिलिपि वारिन्ट कार्यालय की अधिषेपी जाए।
- (5) स्वच्छ पेयजल की सुलभता एवं निरंतरता की समीक्षा के लक्ष्य के

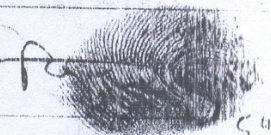
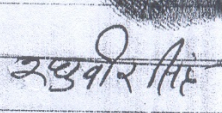
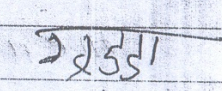
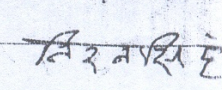
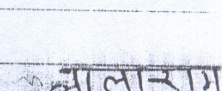
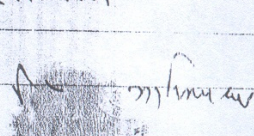
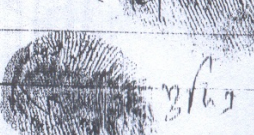
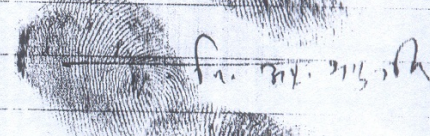
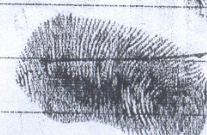
सत्यप्रतिनिधि

अवधेश राजा
समर्थक
ग्राम पंचायत पिपरीद
अध्यक्ष
अध्यक्ष (असोकरनग)

- (5) स्वच्छ पेयजल की सुलभता एवं निरंतरता की समीक्षा के लक्ष्य के

अ. ल. केश. राजा
सरपंच

ग्राम पंचायत पिपरीद
ज. ०. ०. ०. चन्देरी (अशोकनगर)

- | | | | | |
|---|------------------------|---|---|--------------|
| ① | दामा लाल आदिवासी | — |  | दामा लाल |
| ② | रघुवीर सिंह आदिवासी | — |  | रघुवीर सिंह |
| ③ | जान भी लाल | — |  | जान भी लाल |
| ④ | गुड्डा | — |  | गुड्डा |
| ⑤ | निरन सिंह | — |  | निरन सिंह |
| ⑥ | लाल राम | — |  | लाल राम |
| ⑦ | गजिपा बाई | — |  | गजिपा बाई |
| ⑧ | रतना | — |  | रतना |
| ⑨ | सुमित्रा बाई | — |  | सुमित्रा बाई |
| ⑩ | अशुन सिंह आदिवासी | — |  | अशुन सिंह |
| ⑪ | वसिष्ठा बाई | — |  | वसिष्ठा बाई |
| ⑫ | वीरन आदिवासी / लक्ष्मण | — |  | वीरन |
| ⑬ | पद्म आदिवासी | — |  | पद्म |
| ⑭ | सुभलाल आदिवासी | — |  | सुभलाल |

- | | | | |
|------|----------------|---------------|------|
| (15) | देवापाल मुखरि | देवापाल मुखरि | (32) |
| (16) | चन्द्रमान सिंह | चन्द्रमान | (33) |
| (17) | भुजिया | भुजिया | (34) |
| (18) | परवत | परवत | (35) |
| (19) | रतिराम | रतिराम | (36) |
| (20) | मोहन | मोहन | (37) |
| (21) | इमरत | इमरत | (38) |
| (22) | कमल | कमल | (39) |
| (23) | पुमान सिंह | पुमान | (40) |
| (24) | वीरन / कमल | वीरन | (41) |
| (25) | आम मार | आम के दो | (42) |
| (26) | अधम सिंह | अधम सिंह | (43) |
| (27) | इलमान सिंह | इलमान | (44) |
| (28) | इरमान सिंह | इरमान सिंह | (45) |
| (29) | वाबू लाल | वाबू लाल | (46) |
| (30) | कुपाल सिंह | कुपाल सिंह | (47) |
| (31) | अमरुद | अमरुद | (48) |

(32) अथावाड उठर

अथावाड

(33) मण्डन सिंह -

मण्डन सिंह

(34) श्री ठावर -

श्री ठावर

(35) मेलिदा कार

मेलिदा कार

(36) छुड्डा वड

छुड्डा वड

(37) मन कोरकर

मन कोरकर

(38) पागा कार

पागा कार

(39) उड्डा कार

उड्डा कार

(40) रीगा कार

रीगा कार

रमल उठर लिदर

आदर सिंह लीदर

गावठ

ग्राम प्राचार्य विपरीत

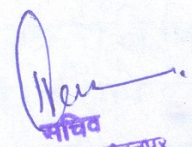
ज० प० चन्देज (अशोकनगरी)

कार्यालय ग्राम सभा मोहपुर जनपद पंचायत मोहपुरी जिला बलेश्वर मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम मोहपुरी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :


सचिव
ग्राम पंचायत मोहनपुर
जनपद पंचायत मोहपुरी
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

17

09 -

10. श्री आरु जी० ए० योश्या मन्त्रिग
स्वीडन मोगेनपाडी मय के मद्रुमोद
पावती

सचिव
ग्राम पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत मोहनपुर
जनपद पंचायत चन्देरी

ग्राम पंचायत मोहनपुर
चन्देरी (अशोकनगर)

~~न ज्ञाना पंचायत में करारोपण से~~

आज दिनांक 14/08/2023 को हिवराहियों की सूची का वाचन किया गया जिसमें सभी हिवराह पात्र पाये गये इन पर ग्राम सभा को कोई अपनी नहीं है। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

आज दिनांक 14/08/2020 को ग्राम पंचायत मोहनपुर मुख्यालय पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रीमति श्रीमती लोणी सरपंच द्वारा की गई। जिसमें सरपंच ने प्रस्ताव रखे कि लोहार और बृहद परियोजना निगम की नीति है। जिसमें वन द्वारा का मछलियाँ किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन्यजीव के अन्तर्गत वन्यजीव के मछलियों में ग्राम सभा के कोई भाग नहीं है। अतः उत्सर्जित पत्तरी किया जाता है। प्रस्ताव का निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव पर किया (निर्णय के बाद उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया)।

[illegible]

स्वाजि दिनांक 12/8/2013 को ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत में करारोपण के